




ज्ञान-विज्ञान विभुक्तये

प्रो. रजनीश जैन
सचिव

Prof. Rajnish Jain
Secretary



सत्यमेव जयते

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)

बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

Ph.: 011-23236288/23239337

Fax: 011-2323 8858

E-mail: secy.ugc@nic.in

D. O. No. F. 3-2/2021 (ARC)

27 OCT 2021 October, 2021

'SPEED POST'

Subject: Revised procedure for students to file online Anti Ragging Affidavit.

Dear Madam/Sir,

As you are aware, in pursuance to the Judgment of the Hon'ble Supreme Court of India dated 8.5.2009 in Civil Appeal No. 887/2009, the UGC notified "Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009" and in compliance of the 2nd Amendment in UGC Regulations, it is compulsory for each student and his/her parent/Guardian to submit an online undertaking each academic year at either of the two designated web sites, namely, **www.antiragging.in** and **www.amanmovement.org**.

As part of UGC's initiative towards reduction of compliance burden of its stakeholders, UGC has revised the procedure for students to file online Anti Ragging Affidavit.

The revised procedure is as follows:

Step 1: A student will submit his/her details on the same web sites (**www.antiragging.in** and **www.amanmovement.org**) as before; read and confirm that he/she and his/her parents/Guardians have read and understood the regulations on curbing the menace of ragging. He/She will confirm & agree that he/she will not engage in ragging in any form. (Step 1 is the same like before).

Step 2: The student will receive an E MAIL with his/her registration number and a web link. The student will forward the link to the E mail of the Nodal officer in his/her university/college. (**Please note that the student will not receive pdf affidavits and he/she is not required to print & sign it as used to be the case earlier**).

Step 3: The Nodal Officer in the university/college can click on the link of any forwarded e mails that he/she will receive from any student of his/her college to get the list of those students who have submitted Anti Ragging Affidavits/Undertakings in his/her college. The list will be updated every 24 hours.

Handwritten notes:
1) Add course coordinators for compliance pl.
2) Sh. K. K. J. to insert a new column in the forms of students.
Contd.../-

Universities and Colleges are requested to insert a **mandatory column** in your university/colleges admission form as per the given format:

Anti Ragging Undertaking Reference no:

You are also requested to display the email address and contact number of the Nodal Officer of Anti Ragging of your university/college in your website and campus areas like Admission Centre, Departments, Library, Canteen, Hostel, and Common facilities etc. to create awareness about the revised procedure for students to file online Anti Ragging Affidavit.

In addition to this, you are also requested to create E-admission booklet or brochure, E-leaflets giving details on guidance in case of ragging to admitted students instead of print/hard copy.

With kind regards,

Yours sincerely,



(Rajnish Jain)

The Vice-Chancellor of all Universities

The Principal of all Colleges



उच्च-विद्यालय विपुलकले

प्रो. रजनीश जैन
सचिव

Prof. Rajnish Jain
Secretary



सत्यमेव जयते

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)

बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

Ph : 011-23236288/23239337

Fax : 011-2323 8858

E-mail : secy.ugc@nic.in

अ०श०मि०स० 3-2/2021 (ए.आर.सी)

27 OCT 2021

अक्तूबर, 2021

SPEED POST

विषय: विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन रैगिंग रोधी शपथ-पत्र दाखिल करने की संशोधित प्रक्रिया।

प्रिय महोदया/महोदय,

जैसा कि आप जानते हैं, सिविल अपील संख्या 887/2009 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 8.5.2009 के निर्णय के अनुसरण में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने "उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग को रोकने के लिए विनियम, 2009" में अधिसूचित किया है जिसके दूसरे संशोधन के अनुपालन में, प्रत्येक विद्यार्थी और उनके माता-पिता/अभिभावक को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में www.antiragging.in और www.amanmovement.org में से किसी एक वेबसाइट पर ऑनलाइन वचन पत्र जमा करवाना अनिवार्य है।

इस प्रक्रिया को सहज करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन रैगिंग रोधी शपथ-पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया में संशोधन किया है।

संशोधित प्रक्रिया निम्नवत है:

चरण 1: विद्यार्थी अपना विवरण पूर्ववत् (www.antiragging.in और www.amanmovement.org) वेबसाइट पर जमा करेंगे और पढ़कर इसकी पुष्टि करेंगे कि वे और उनके माता-पिता/अभिभावकों ने रैगिंग को रोकने के लिए विनियम को अच्छी तरह पढ़ और समझ लिया है, वे इस बात की भी पुष्टि करेंगे कि वे किसी भी रूप में रैगिंग में शामिल नहीं होंगे। (चरण 1 पहले जैसा ही है)।

चरण 2: विद्यार्थी को उसकी पंजीकरण संख्या और एक वेब लिंक के लिए एक ई-मेल प्राप्त होगा। विद्यार्थी अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में नोडल अधिकारी के ई-मेल पर लिंक अग्रेषित करेगा। (कृपया ध्यान दें कि विद्यार्थी को पीडीएफ शपथ-पत्र प्राप्त नहीं होगा और उसे इसे प्रिंट करने और हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है जैसा कि पहले हुआ करता था)।

चरण 3: विश्वविद्यालय / महाविद्यालय के नोडल अधिकारी उन विद्यार्थियों की सूची प्राप्त करने के लिए जिन्होंने अपने महाविद्यालय में रैगिंग रोधी शपथ पत्र/वचन पत्र जमा किए हैं, अपने महाविद्यालय के किसी भी विद्यार्थी से प्राप्त किसी भी अग्रेषित ईमेल के लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, सूची हर 24 घंटे में अद्यतन की जाएगी।

जारी.../-

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से अनुरीक है कि वे विश्व पर धारण के अनुयाय अपने विश्वविद्यालयों /महाविद्यालयों के प्रवेश भर से एक प्रतिवर्षी कोलय करते

वैश्विक टीसी वापस की संदर्भ संख्या	<input type="text"/>
------------------------------------	----------------------

आपसे यह भी अनुरीक किया जाता है कि अपने विश्वविद्यालय /महाविद्यालय के वैश्विक टीसी कोलय अधिकारी का इमेल पता और संघर्ष हेतु देवीभोग तबत अपनी संकायालय और संविधान अपनी जैसे प्रवेश वेद, विचारों, पुस्तकालय, बीटीए, छात्रावास, और सार्वजनिक स्थायी भर उपस्थित करें ताकि विश्वविद्यालयों से अधिकतम वैश्विक टीसी वापस-भर शामिल करने की संशोधित प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके।

आपसे यह भी निवेदन किया जाता है कि प्रवेश-पुस्तिका/विश्वविद्यालय यात्रि की प्रिन्सिपल कोपी के संकाय उनकी सौभ्य कोपी तथा साथ ही वैश्विक-संकायों सार्वजनिक हेतु ई-विभवेन भी उपस्थित की जाय।

आपके,

अधीन,

 (एकरीक वेन)

अधी विश्वविद्यालयों के कुलपति

अधी महाविद्यालयों के प्राचार्य